



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura, Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/BLW-426/I.O.-01

दिनांक : 20.10.2016

प्रेषित : Shri Dinesh Chandra S. Patil,  
DGM & Agent Mines,  
M/S Jindal Saw Ltd.  
Khasra no.6711 Tiranga Hills, Village-Pur,  
Ditt-Bhilwara-311802, (राजस्थान),  
(E-mail:dinesh.patilt@jindalsaw.com)

विषय : राजस्थान राज्य के Bhilwara जिले में स्थित आपकी Dhedwas Iron Ore खान क्षेत्रफल 1556.7818 हैक्टेयर (एम.एल.स 631/2005) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18/09/2016 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
13(1)	Mining operations are not being carried out in accordance with the mining plan approved vide letter no584(4)(3)(1632)/2016-RCM-AJM dated 18/05/2016 to the extent indicated below:- As per para 4(d) on page no.47 of approved mining plan it has been proposed to construct a 2mt. wide and 2mt. high retaining wall around the dumps for stabilization of waste dumps, but it was observed during inspection that no such retaining wall was constructed.
23E(2)	The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a – vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
37	The water had not been sprayed regularly on transport haulage road for suppressing the dust generation.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 नियम 13(2) के अन्तर्गत

- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

( एन. एल. रौत )  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर
- 2 खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Bhilwara.

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो